

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 19.05.2021

अधिसूचना

प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) के कोविड-19 के साईड इफेक्ट के रूप में सामने आने तथा MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) एवं कोविड-19 का एकीकृत व समन्वित रूप से उपचार किये जाने के दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अन्तर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 3 सप्तित धारा 4 की उपधारा (ज) के अन्तर्गत MUCORMYCOSIS (ब्लैक फंगस) को सम्पूर्ण राज्य में महामारी तथा Notifiable Disease अधिसूचित किया जाता है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
14. समस्त मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. निजी / रक्षित पत्रावली

(नितेश कुमार)
(संज्ञ्य कुमार)
शासन उप सचिव